(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड- 4 में **प्रकाशित)**

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 132 **नई दिल्ली**, 28 अप्रैल, 2010

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48,49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्द्वारा, मुर्मुगाओ पत्तन न्यास के वर्तमान दरमान की वैधता को, संलग्न आदेशानुसार विस्तार प्रदान करता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
प्रकरण सं. टीएएमपी/47/2005-एमओपीटी

आ दे श
(मार्च 2010 के 31 वें दिन पारित)

यह प्रकरण,मुर्मुमांव पत्तन न्यास (एमओपीटी) के वर्तमान दरमान की वैधता के विस्तार से संबंधित है ।

2. एमओपीटी का वर्तमान दरमान इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएएमपी / 47 / 2005-एमओपीटी दिनांक 30 अक्तूबर 2006 के माध्यम से अनुमोदित किया गया था और दरमान की वैधता 31 मार्च 2009 तक निर्धारित की गई थी। वर्तमान दरमान की वैधता समय-समय पर बढ़ाई गई और पिछली बार दिनांक 23 अक्तूबर 2009 के आदेश के माध्यम से 31 मार्च 2010 तक विस्तारित की गई थी।

3. एमओपीटी ने अपने प्रशुल्क के सामान्य संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव दाखिल किया है जिसे संबंधित उपयोगकर्त्ताओं / उपयोगकर्त्ता संगठनों के साथ परामर्श के लिए लिया गया है। प्रस्ताव की आरंभिक जांच-पड़ताल पर पत्तन से अतिरिक्त सूचना / स्पष्टीकरण भी प्राप्त किए गए थे। तदनन्तर दिनांक 27 जून 2009 का पत्तन द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्रस्ताव संबंध उपयोगकर्त्ताओं में उनकी टिप्पणी के लिए परिपत्रित किया गया था ।

4. परामर्शी प्रक्रिया के भाग के रू प में 28 अक्तूबर 2009 को संयुक्त सुनवाई आयोजित की गई थी। किन्तु, इस प्राधिकरण के अंतिम विचार विमर्श के लिए इस प्रकरण को परिपक्व होने में कुछ और समय लगेगा।

5. चूंकि वर्तमान दरमान की वैधता 31 मार्च 2010 को समाप्त हो रही है, यह प्राधिकरण एमओपीटी के वर्तमान दरमान की वैधता 30 सितंबर 2010 तक या एमओपीटी द्वारा अपने प्रशुल्क की सामान्य समीक्षा के लिए उसके प्रस्ताव पर पारित होने वाले आदेश के क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि, इनमें से जो भी पहले हो, तक विस्तार प्रदान करता है।

6. 1 अप्रैल 2010 के बाद वाली अवधि में ग्राह्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक यदि कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है तो उसकी निष्पादनता की समीक्षा के समय वह अतिरिक्त अधिशेष निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में समायोजित किया जाएगा।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष